म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय, ब्लाक नं.–07, प्रथम तल, शक्तिभवन रामपुर, जबलपुर

क.:पू.क्षे. / मु.म.प्र. / वाणिज्य / राजस्व / 1478 जबलपुर, दिनांक 21 / 08 / 2018

प्रति,

मुख्य अभियंता (जक्षे / साक्षे / रीक्षे),
म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लिमि.
जबलपुर / सागर / रीवा

विषयः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों में छूट प्रदाय करने बाबत्।

संदर्भः विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग का पत्र कमांक 6525 / 2018 / तेरह दिनांक 14 अगस्त 2018

000

प्रदेश में दिनांक 08 सितम्बर 2018 (शनिवार) को होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. जबलपुर द्वारा मान. लोक अदालत के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हैं।

2. उपरोक्त एवं म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 14 अगस्त 2018 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए दिनांक 08 सितंबर 2018 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में से इस पत्र की कंडिका (4) के अनुसार श्रमिकों व कर्मकारों के घरेलू तथा कृषकों के प्रकरणों की वापसी को छोड़कर शेष निम्नदाब श्रेणी के घरेलू व कृषि, 5 किलोवॉट भार तक के गैर घरेलू तथा 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जावेगीः–

(i) **प्रिलिटिगेशन स्तर पर** :– कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश (126 के प्रकरणों में अंतिम निर्धारण आदेश) जारी होने की तिथि से .30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चकवृद्धि दर अनुसार **16 प्रतिशत** प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर **100 प्रतिशत** की छूट दी जावेगी।

(ii) **न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में** :– कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चकवृद्धि दर अनुसार **16 प्रतिशत** प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि में **100 प्रतिशत** की छूट दी जावेगी।

3. उपरोक्तानुसार छूट निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के तहत दी जावेगी :–

i. आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।

ii. उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।

iii. आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

iv. नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के प्राप्त नहीं होंगे।

v. सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जायेगी।

vi. अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त नेशनल लोक अदालत में राज्य शासन की संबल योजना में पंजीकृत श्रमिकों तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पोर्टल पर पंजीकृत कर्मकारों और कृषकों के विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 एवं 138 में दर्ज प्रकरणों की वापसी भी की जा सकेगी। इस हेतु कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की 50 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। सिविल दायित्व की शेष 50 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जायेगा।

5. यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक **08 सितंबर 2018** में समझौता करने के लिये ही लागू रहेगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य)

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर।
2. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
3. निदेशक (वाणिज्य) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इन्दौर।
4. मुख्य महाप्रबंधक (आर.एम.) म.प्र.पा.मै.कं. लिमि. जबलपुर।
5. मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल।
6. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा)/(कार्य)/(प्रवर्तन) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
7. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
8. प्रमुख (सी एस एण्ड ए) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
9. महाप्रबंधक (सीसीसीसी), म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
10. अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा)/(शहर) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. .....
11. कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा)/(शहर) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. .....
12. जन सम्पर्क अधिकारी, म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।

टीप –(क्र.–10 के लिये) अधीक्षण अभियंता इस पत्र की प्रति अपने अधीनस्थ कार्यपालन अभियंता /सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता स्तर तक प्रेषित कर परिपालन सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 6585 / 2018 / तेरह

भोपाल,दिनांक 14 AUG 2018

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र. पूर्व / मध्य / पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर / भोपाल / इंदौर।

विषय:- दिनांक 08 सितम्बर,2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के अन्तर्गत छूट दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-सदस्य सचिव म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का पत्र क्रमांक 17 / नेश.लोक अदा. / राविसेप्रा / 1431 / 2018 दिनांक 26.7.2018

:-:

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में **दिनांक 08.09.2018 (शनिवार)** को सभी न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। इन लोक अदालतों में संदर्भित पत्र में उल्लेखानुसार प्री-लिटिगेशन तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने हेतु सहयोग किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2/ उक्त संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के अन्तर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए दिनांक 8 सितम्बर,2018 को होने वाली वार्षिक नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में से कंडिका (4) अनुसार श्रमिकों व कर्मकारों के घरेलू तथा कृषकों के प्रकरणों की वापसी को छोड़कर शेष निम्नदाब श्रेणी के घरेलू व कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जावेगी :-

(i) प्रि-लिटिगेशन स्तर पर :- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जावेगी।

(ii) लिटिगेशन स्तर पर :- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथ से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जावेगी।

3/ उपरोक्तानुसार छूट निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के तहत दी जावेगी :-

(i) आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।

(ii) उपभोक्ता/उपयोगकर्ता का विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।

(iii) आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) वार्षिक नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किए उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।

(v) सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी।

(vi) अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।

4/ उपरोक्त के अतिरिक्त नेशनल लोक अदालत में राज्य शासन की संबल योजना में पंजीकृत श्रमिकों तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पोर्टल पर पंजीकृत कर्मकारों और कृषकों के विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 135 एवं 138 में दर्ज प्रकरणों की वापसी भी की जा सकेगी। इस हेतु कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की 50 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। सिविल दायित्व की शेष 50 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जायेगा।

(पी.के.चतुर्वेदी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

पृष्ठा.क्रमांक /2018/तेरह भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि –

1. प्रबंध संचालक, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, विंध्याचल भवन; भोपाल।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाइन्स, पचपेढ़ी, जबलपुर–482001

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग